



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65387

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 10490/2024

गणेश प्रसाद शर्मा एवं 2 अन्य

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अखिलेश कुमार त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., सन्तोष त्रिपाठी, उमेश मौर्या

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2. वर्तमान आपराधिक अपील विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा एस.एस.टी. संख्या 17/2024 (राज्य बनाम गणेश प्रसाद शर्मा एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 567/2023, धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3(2)(va) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद से उद्भूत है, में पारित दिनांक 04.01.2024 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 17.10.2023 को थाना मुरादनगर, ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 567/2023, धारा 506, 504, 354-D, 354, 323 भा.दं.सं. तथा धारा 3(2)(5A) एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अपराध के घटित होने के संबंध में घटना की तारीख, समय एवं स्थान का कोई उल्लेख संबंधित कॉलम में नहीं किया गया है। परिवादिनी/विपक्षी संख्या 2 द्वारा कथित किया गया है कि वह गंगा विहार कॉलोनी, मुरादनगर, गाजियाबाद की निवासी है। एक ही गली में विभिन्न जातियों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनेक व्यक्ति निवास करते हैं। कुछ स्थानीय समस्याएँ थीं, जिसके कारण उक्त गली में माननीय राजनाथ सिंह के कोटे से एक सरकारी हैंडपंप स्थापित किया गया था। कुछ दिनों बाद, श्री होतीलाल के पुत्र गणेश प्रसाद ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को उक्त हैंडपंप से पानी भरने से रोक दिया, जिसका परिवादिनी ने विरोध किया। इसके बाद गणेश प्रसाद ने उक्त हैंडपंप को हटाकर उसमें सबमर्सिबल लगा दिया। जब हमने इसके संबंध में जानकारी की, तो उसका पुत्र अत्यधिक नाराज हो गया और उसने मुझ पर ईंटों से हमला कर दिया। मैं पाँच माह की गर्भवती महिला हूँ। ईंट मेरे पेट पर लगीं, जिसके कारण मुझे उस कृत्य के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। उक्त घटना मैंने अपनी बड़ी बहन रेखा को बताई, उस समय घर पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। उन्होंने मेरी बड़ी बहन पर भी हमला किया तथा उसे घर से बाहर खींच लिया और मेरे पास इसकी कुछ वीडियो भी हैं। उक्त मारपीट का वीडियो निरीक्षक द्वारा मेरे फोन से डिलीट कर दिया गया। उसने बाहर लगे कैमरे की वीडियो देखने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने हमें पानी लेने से रोक दिया है और जब भी हम किसी कार्य से बाहर जाते हैं, तो उसका पुत्र हमारा पीछा करता है तथा वीडियो डिलीट करने के लिए धमकी देता है और तेजाब से हमला करने की धमकी भी देता है। उसने शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी, अन्यथा कहा कि वह “चमारो” को नहीं छोड़ेगा। सार्वजनिक नल पर स्नान करते समय मुकुल शर्मा दोनों बहनों को देखकर अश्लील हरकतें करता है। उन्होंने मेरे और मेरी बहन के साथ मारपीट भी की। मुकुल शर्मा की परिचित ज्योति कटारिया ने भी मेरे विरुद्ध झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ताओं की ओर से न तो अपमानित करने का कोई आशय था और न ही उनके द्वारा कभी कोई जातिसूचक टिप्पणी की गई। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई अपराध गठित नहीं होता है। परिवादिनी के धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज कथन तथा साक्षियों के कथनों के साथ-साथ परिवादिनी के धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज कथन में विरोधाभास हैं।

5. परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अधिशासी अभियंता, उ.प्र. जल निगम, गाजियाबाद की दिनांक 21.06.2018 की आख्या पर भरोसा किया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि श्री इंद्र एवं श्री गणेश पंडित द्वारा सरकारी पंप में सबमर्सिबल लगाए जाने संबंधी शिकायत के संबंध में जांच की गई थी। आख्या के अनुसार, मौके पर कोई सरकारी हैंडपंप स्थापित पाया नहीं गया। मौके पर एक निजी हैंडपंप पाया गया, जिसमें सबमर्सिबल लगा हुआ है। अभिलेख पर हैंडपंप के संबंध में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई आख्या उपलब्ध नहीं है। श्री गणेश पंडित द्वारा बताया गया कि उक्त हैंडपंप उनके द्वारा निजी रूप से स्थापित कराया गया था। आसपास रहने वाले व्यक्तियों ने भी बताया कि उन्होंने हैंडपंप को उसी स्थिति में देखा है। उक्त हैंडपंप से सबमर्सिबल हटाने के लिए इस कार्यालय की ओर से कोई कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत सहबिसवा में स्थापित कोई भी हैंडपंप ग्राम पंचायत सहबिसवा द्वारा अनुरक्षित किया जाना है और यदि ग्राम पंचायत के अभिलेख में उक्त हैंडपंप को सरकारी हैंडपंप के रूप में दर्ज किया गया है, तो उस हैंडपंप से सबमर्सिबल हटाने की कार्यवाही ग्राम पंचायत सहबिसवा एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जा सकती है। उक्त आख्या से यह अस्वीकार नहीं होता है कि मौके पर हैंडपंप विद्यमान है। तथापि, इसमें यह कहा गया है कि अधिशासी अभियंता के कार्यालय का उक्त हैंडपंप से कोई संबंध नहीं है, जबकि आख्या में यह भी उल्लिखित है कि मौके पर कोई सरकारी हैंडपंप नहीं है तथा उसमें सबमर्सिबल लगाया गया है और उक्त हैंडपंप ग्राम पंचायत सहबिसवा द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है तथा यदि कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो वह ग्राम पंचायत सहबिसवा एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जानी है।

6. श्रीमती रेखा के साथ-साथ परिवादिनी नीतू का कथन भी दर्ज किया गया है। दोनों ने शिकायत में किए गए कथनों की पुष्टि की है तथा गणेश प्रसाद शर्मा एवं उनके पुत्रों मुकुल शर्मा और इंद्र शर्मा के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उन्हें पानी लेने से रोक दिया तथा यह भी कहा कि कोई भी 'चमार' इससे पानी लेने नहीं दिया जाएगा। हैंडपंप के स्थान पर अपीलकर्ताओं द्वारा सबमर्सिबल लगा दिया गया है।

7. विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी के कथन से भी शिकायत में किए गए कथनों की पुष्टि होती है। धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 19.09.2023 को लगभग शाम 7.00 बजे जब वह सरकारी हैंडपंप से पानी लेने गई, तब मुकुल शर्मा एवं उसके परिवार के सदस्य मंगेश शर्मा तथा सचिन शर्मा ने उसे पानी लेने से रोक दिया और कहा कि 'चमार-चूड़े' के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे अपने पानी की स्वयं व्यवस्था करने के लिए कहा गया।

8. प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि गली में एक हैंडपंप स्थित था, जो सार्वजनिक स्थान था। हैंडपंप के स्थान पर सबमर्सिबल लगा दिया गया है और यह माना जाता है कि वहाँ सरकारी हैंडपंप स्थित था तथा उसे सार्वजनिक गली के लिए स्थापित किया गया था। अधिशासी अभियंता की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 21.06.2018 की आख्या से यह अस्वीकार नहीं किया गया है कि उक्त हैंडपंप में सबमर्सिबल लगाया गया है। उसके अनुरक्षण एवं स्थापना के संबंध में यह कहा गया है कि वह ग्राम पंचायत सहबिसवा में स्थित है, अतः उसे हटाने के लिए कार्यवाही केवल ग्राम पंचायत सहबिसवा एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ही प्रारंभ की जानी है।

9. विस्तृत विवेचना के उपरांत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. तथा धारा 3(2)(5A) एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

10. उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है। अतः संज्ञान लिया गया तथा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध समन जारी किए गए।

11. अतः, आक्षेपित दिनांक 04.01.2024 के आदेश में न तो कोई अवैधानिकता है, न अनियमितता और न ही कोई विकृति है। आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है और तदनुसार आपराधिक अपील खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

28 मार्च, 2026

एसएफए/